जूट पैकेजिंग के नियमों में उलझी शुगर इंडस्ट्री

इंडस्ट्री का आरोप, जूट की बोरियों में चीनी की पैकेजिंग का नियम दे रहा है तकलीफ

[श्रेया जय & दिलाषा सेठ | नई दिल्ली]

शुगर इंडस्ट्री अब टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री के जूट पैकेजिंग से जुड़े नियमों से परेशान है। इंडस्ट्री का कहना है कि इसके चलते उसे सालाना 600 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। चीनी उद्योग के अधिकारियों का आरोप है कि जूट मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने में टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ने नियमों का उल्लंघन किया है।

इकनॉमिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी (CCEA) ने पिछले साल नवंबर में अनाज और चीनी के लिए पैकेजिंग के नियम बनाए थे। 28 नवंबर 2013 को दिए गए कैबिनेट के आदेश में कहा गया था कि जूट पैकेजिंग मैटीरियल एक्ट के तहत CCEA ने देश में पैदा हुए अनाज का 90 पर्सेंट हिस्सा और चीनी का 20 पर्सेंट हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करने की बात तय की है। यह नियम साल पहली जुलाई 2013 से 30 जून 2014 के लिए था।

शुगर इंडस्ट्री के एक एग्जिक्यूटिव ने कहा कि इस आदेश को लागू करने के बजाय टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ने अगले ही दिन जूट की बोरियों में पैक होने वाली चीनी की मात्रा बढ़ा दी।

टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री के ज्वॉइंट सेक्रेटरी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि देश में पैदा हुई चीनी का कम से कम 40 पर्सेंट हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करना होगा। इससे जुड़े आदेश की समय सीमा 30 नवंबर 2013 को खत्म हो रही है, लेकिन इसे एक महीना बढ़ाया जा रहा है। टेक्सटाइल मिनिस्टर के एस राव ने हालांकि इस आरोप को खारिज किया और कहा कि हमने अनाज की कम से कम 90 पर्सेंट मात्रा की पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों के इस्तेमाल की मंजूरी कैबिनेट से इस साल ली है। शुगर इंडस्ट्री जूट की बोरियों का उपयोग नहीं करना चाहती है क्योंकि ये नम हो जाती हैं और इससे चीनी खराब भी हो सकती है। राव ने कहा कि हम चीनी मिलों को जूट की बोरियों के इस्तेमाल के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने 20 पर्सेंट चीनी की पैकेजिंग से ही जुड़ा नियम बनाया।

CCEA का फरमान

CCEA ने देश में पैदा हुए अनाज का 90 पर्सेंट हिस्सा और चीनी का 20 पर्सेंट हिस्सा जूट की बोरियों में पैक करने की बात तय की है। यह नियम साल पहली जुलाई 2013 से 30 जून 2014 के लिए था

शुगर इंडस्ट्री के एक एग्जिक्यूटिव ने कहा कि मिनिस्ट्री ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। शुगर इंडस्ट्री को मार्केट रेट्स पर जूट बैग्स खरीदने पड़ते हैं। उसे दोहरी मार झेलनी पड़ रही है क्योंकि एक ओर जूट की बोरियों की उपलब्धता कम हुई है, वहीं इसकी कीमत बढ़ गई है। 50 किलो वाली जूट की बोरी का दाम 50 रुपये हो गया है, जो साल 2012 में 35 रुपये था। वहीं इसी कैपेसिटी की प्लास्टिक की बोरी 15 रुपये में मिल रही है। चीनी उद्योग से जुड़े एक ऑफिशियल ने कहा कि जूट की बोरियों की क्वॉलिटी भी पहले के मुकाबले खराब हुई है। अब इनमें बीआईएस मानकों का पालन नहीं हो रहा है।

Economic times

5/2/14